सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : करतार सिंह पूनियां, आर0ए0एस0

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 11/16

श्री प्रदीपकुमार राजपूत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

मै. बालाजी मिष्ठान भण्डार, प्रो. हरपल चंद पुत्र केसरमल, दु.नं. 112–113, तह केसरीसिंहपुर

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)
एसएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय दिनांक : 01.12.2016

सक्षेंप में प्रकरण के सुसंगत एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रदीपकुमार राजपूत दिनांक 06–06–12 से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उसे राज्य सरकार के आदेश कमांक एच/पीएफए/एफएसएसए/नोटिफिकेशन 2012/568 दिनांक 28–5–12 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन की अधिसूचना/2011/496 दिनांक 18–8–11 के अनुसार इनका कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर आवंटित किया गया है और जिला श्री गंगानगर के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में बताए गए हैं।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.10.2015 को 02:15 पी.एम. पर चैकिंग करने हेतु मै. बालाजी मिष्ठान भण्डार, प्रो. श्री हरपल चंद केसरमल, दुकान नं 112–113 तह बाजार केसरीसिंहपुर श्रीगंगानगर मावा मिठाई बनाने हेतु एक टीन में रखा था, जो कि टीन में करीबन 15 किलोग्राम के आसपास मावा था, वास्ते मिठाई बनाने हेतु रखा हुआ था। उसमें मिलावट का शक होने पर उसमें से 2 किलोग्राम मावा वास्ते नमूना जांच संख्या के–597 चार साफ सूखे व खाली बर्तन में 500 ग्राम के हिसाब से लिया और खरीद शुदा मावा की कीमत अखरे रूपये 400/–श्री सुरेश कुमार पुत्र मिलनराम भठेजा एवं राकेश सचदेवा गवाह के सामने देकर रसीद प्राप्त की। श्री हरपलचंद पुत्र केसरमल को फार्म नं0 5 ए पर नोटिस देकर बता दिया था कि नमूना वास्ते जॉच लिया गया है, जिसको पढ़ समझ कर सही मानकर श्री हरपलचंद ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं0 5 की एक प्रति श्री हरपलचंद को देकर रसीद प्राप्त की गई। खरीद शुदा मावा को एकरूप करके चार साफ सूखी व खाली शीशीयों में बराबर–2 डालकर प्रत्येक शीशी में फार्मलीन की 40–40 बूँदें डालकर डॉट लगाकर लेबल तैयार किये और उन पर खाद्य नमूना सं0 के–597 एवं अन्य विवरण दर्ज कर उन पर स्वंय ने व विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये और इनको प्रत्येक शीशी पर चिपकाया गया।

E:\K.L.Kalra\ Kalraji 2016

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

प्रत्येक शीशी को खाकी कागज से लपेट कर प्रत्येक शीशी पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा स्लिप के–597 नियमानुसार नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक शीशी को धागे से बॉध कर चार–चार जगह सील चपड़ी किया और प्रत्येक शीशी पर श्री हरपल चंद पुत्र केसरमल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रेपर दोनों पर आवें। इन चारों सील्ड शीशीयों पर नियमानुसार गवाह श्री सुरेश कुमार पुत्र मिलनमल व श्री राकेश सचदेवा के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय ने किये और इन चारों सील्ड शीशीयों को अपने कब्जे में ले लिया। इस समस्त कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई। इसके पश्चात् फार्म नं0 6 की सात प्रतियॉ तैयार की गई और प्रत्येक पर सील नमूना अंकित किया गया। जॉच नमूनों की कार्यवाही सम्पूर्ण की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना सं0 के–597 की एक सील्ड शीशी को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ सील बन्द कर जन विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर के पास जॉच हेतु भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई और फार्म नं. 6 की द्वितीय प्रति, जिसमें सील नमूना अंकित था, अलग से जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर को भिजवाई, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। खाद्य नमूना के–597 के द्वितीय एवं तृतीय भाग को फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर एवं खाद्य नमूना के चतुर्थ भाग को फार्म नं0 6 की एक प्रति के साथ एक आउटर कवर पैकेट में सील बंद कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी के पास जमा करवा दिया। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2807/एक्ट/2015/1063 दिनांक 29.10.2015 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–597 मावा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(II) के अन्तर्गत अवमानक (सब – स्टैण्डर्ड) पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर ने पत्र क्रमांक 22184–85 दिनांक 02.12.2015 की पालना में अभियुक्त के विरूद्ध एफ एस एस ए एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 26.04.2016 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त के अधिवक्ता ने अपने जवाब में कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए जो न्यूनतम योग्यता खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है, वह योग्यता प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त नही है। खाद्य नमूना को अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार लिया गया है, के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नही की गई है और न ही अप्रार्थी को ऐसी साक्ष्य को खण्डित किये जाने का कोई अवसर प्रदान हुआ है। मावा के संदर्भ में दर्शायी गई सब स्टैण्डर्ड न्यूनतम है जो दूध की गुणवता के कारण होना स्वाभाविक है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण समाप्त किया जावे।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री हरपल चंद पुत्र केसरमल से लिया गया मावा का सैम्पल के–597 जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस/2807/एक्ट/2015/1063 दिनांक 29.10.2015 द्वारा सबस्टैण्डर्ड (अमानक) पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के उल्लंघन का अपराध साबित होता है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

E:\K.L.Kalra\ Kalraji 2016

A6
3

11
2016 - अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजरथान)

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि जांच के बिन्दु संख्या 01 में वर्णितानुसार Milk Fat content of the finished product (on dry weight basis) की न्यूनतम value not less than 30.0 % होनी चाहिए थी, जबकि जांच अनुसार मावा में 15.77 % पाया गया है। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 03 में Test for added sugar should be negative होना चाहिए था, जबकि जाचं के अनुसार मावा positive पाया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया मावा का सैम्पल सबस्टैण्डर्ड (अमानक) है।

फलस्वरूप, मै. बालाजी मिष्ठान भण्डार, प्रो. श्री हरपल चंद पुत्र केसरमल, दुकान नं. 112–113 तह बाजार केसरीसिंहपुर श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री हरपलचंद पुत्र केसरमल को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 5000/– (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/12/16

(करतार सिंह पूनियां)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा0)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

E:\K.L.Kalra\ Kalraji 2016